

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-369 / 2019

कौशल कुमार एवं अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... विपक्षीगण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

**वीडयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री शफीक रहमान, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री मोहन कुमार दुबे, ए०जी० के ए०सी०

**04 / 05.03.2021** यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-6613 / 2016 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है जिसे इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.12.2018 के आदेश का अनुपालन न करने के कारण डिफॉल्ट के वजह से खारिज कर दिया गया था।

श्री शफीक रहमान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को इन खामियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह के समय की अनुमति दी गई थी, लेकिन अनजाने में इसका अनुपालन नहीं किया जा सका। चूँकि

उपर्युक्त आदेश अनुल्लंघनीय था, इसलिए रिट याचिका (एस) संख्या 6613/2016 को दिनांक 09.01.2019 को खारिज कर दी गई। यह याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वोक्त आदेश का पालन आज से तीन सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।

विरोधी पक्षों के विद्वान वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण और इस सी0एम0पी0 के पैरा संख्या 4 से 7 में किए गए प्रकथन को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-6613/2016 में दिनांक 20.12.2018 को पारित आदेश का आज से पांच सप्ताह के भीतर अनुपालन किया जाएगा।

तदनुसार, इस सी0एम0पी0 को उपरोक्त शर्त के साथ अनुमति है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)